न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
001/2024(रसद) (GCMS 2024/5)	12.01.2024	11.06.2024

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल लाल पिता शंकरलाल जाति कुमावत निवासी सुरताई बिछोर थाना पारसोली तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. प्रकाश पिता मांगीलाल जाति मीणा निवासी अमरगढ काछोला थाना शक्करगढ जिला भीलवाडा।
3. नारायण लाल पिता जस्सा रेबारी निवासी राजगढ थाना पारसोली जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षी

उपस्थिति :– हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी — प्रार्थी
पारस कुमावत — विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित MS & HSD ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित **MS & HSD** ऑर्डर 2005 में थानाधिकारी पुलिस थाना बेंगू की और से पेश कर निवेदन किया गया कि दिनांक 13.09.2023 को अनुपम मिश्रा, आरपीएस प्रोबेशनरी थानाधिकारी पुलिस थाना बेंगू द्वारा की गई कार्यवाही में बलवंत नगर तिराया पर पीकअप नंबर **RJ 09 GC 6405** से जब्तशुदा 8 ड्रम जिनमे 2000 लीटर(प्रत्येक में 250 लीटर) पेट्रोलियम का निस्तारण किये जाने हेतु पेश किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 30.01.2024 को विपक्षी की और से अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। हाजिर अधिवक्ता ने किसी भी प्रकार से लिखित अभिवचन प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस पत्रावली का निवेदन किया।

इस पर पत्रावली को उभयपक्ष की सहमति से वास्ते बहस नियत किया गया। इस पर हाजिर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि विपक्षी का उक्त प्रकरण एवं जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ से उनका कोई लेना देना नहीं होना अवगत कराया गया। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। विपक्षी द्वारा डीजल पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया एवं जब्तशुदा डीजल पदार्थ को कब्जे राज लिये जाने के संबंध में विपक्षी को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया हैं, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में डीजल भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से अभिग्रहित 8 प्लास्टिक के ड्रम जिनमें 2000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (प्रत्येक में 250 लीटर) राजसात जाने योग्य है।

हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GC 2405** न्यायालय के दीगर प्रकरण संख्या 003/2024(रे.वि.) निर्णय दिनांक 11.06.2024 अनवानी नारायण लाल बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 में न्यायालय आदेश से वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को रूपये **05,00,000/-** अक्षरे पांच लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये गये है, ऐसी स्थिति में पुलिस थाना बेंगू में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 248/2023 दिनांक 13.09.2024 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं एवं पुलिस थाना बेंगू में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 248/2023 दिनांक 13.09.2024 में अभिग्रहित 8 प्लास्टिक के ड्रम जिनमें 2000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (प्रत्येक में 250 लीटर) को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त अभिग्रहित दो हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 8 ड्रम थानाधिकारी, पुलिस थाना बेंगू से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बेंगू को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 11.06.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official